

बार बार पूर्व मु.मंत्री अपनी पीठ ठोकते हैं, कि उनके शासन में “कोविड मैनेजमेंट” उत्कृष्ट था...(1)

पर था या नहीं, इस पर विस्तार से बाद में बात की जा सकती है, पर, यह ससबूत कहा जा सकता है कि “कोविड मैनेजमेंट” के नाम पर अरबों की लूट मची थी

—यादवेन्द्र शर्मा—

जयपुर, 19 अप्रैल। कोविड महामारी से लड़ने और मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ तुरन्त मुहैया कराने के नाम पर पिछली अशोक गहलोत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकार के राजकोष से कई तरह के खर्चे किए, परन्तु अब प्राप्त दस्तावेजों से जाहिर होता है कि इन खर्चों में नियम-कायदों और नीतियों का भारी उल्लंघन किया गया और भ्रष्टाचार की सभी सीमाएँ पार कर दी गई। उदाहरण के लिए, कोविड महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों में राज्य/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ.) से गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.), बाल गहन चिकित्सा इकाई तथा नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों (एच.आई.सी.यू./ पी.आई.सी.यू.) के सम्पूर्ण “टर्नकी” निर्माण प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार द्वारा 131 करोड़ रूपए का व्यय एस.डी. आर. एफ. फंड से किया गया, जबकि उक्त व्यय भारत सरकार द्वारा जारी आपदा प्रबंधन अधिनयम, 2005 के प्रावधानों एवं समय-समय पर तय किये गए नियम कायदों के भी विरुद्ध है।

दरअसल, एस.डी.आर.एफ. के फंड से प्राकृतिक आपदा के समय राज्य सरकार आपदा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे को हुई क्षति की मरम्मत और गैर स्थाई ढांचों की मरम्मत के लिये खर्च कर

■ यह लूट इतने सुनियोजित तरीके से हुई कि, “राइट टु इन्फॉर्मेशन” (सूचना का अधिकार) के दफ्तरों के बीसियों चक्कर लगाने पड़े प्रमाण इकट्ठे करने में।

■ पहले तो सरकार ने यह कहा कि प्राकृतिक आपदा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है। इस बहाने की आड़ में गहलोत सरकार ने, पारदर्शिता अधिनियम की पूरी अवहेलना करते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के फंड से अस्पतालों में स्थायी निर्माण करने के आदेश दिये।

■ इन निर्माण कार्यों में किसी भी तरह के मानक लागू नहीं किये गये, और बड़ी महंगी दरों पर निर्माण कार्य हुआ। जबकि, मार्च-अप्रैल 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आपदा राहत निधि से कोई भी स्थायी काम नहीं कराया जा सकता। ऐसे निर्माण कार्य को सरकार को अपने बजट से ही करवाना अनिवार्य है। पर, 31 मार्च 2021 को सरकार ने मेडिकल एजुकेशन विभाग को इस काम को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से कराने की स्वीकृति दी, इस स्वीकृति में 131 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राहत निधि से खर्च करना शामिल है।

सकती है। पाठकों को बता दें कि प्राकृतिक आपदा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है, क्योंकि निविदा जारी करने वाले कानून, जैसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आर.टी.पी.पी.) अधिनियम, भी निर्लंबित हो जाते हैं, इसलिये कोविड महामारी के दौरान अशोक गहलोत सरकार द्वारा नियमों की भारी अवहेलना करते हुए एस.डी. आर.एफ.के फंड के उपयोग से अस्पतालों में आई.सी.यू. जैसे स्थाई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

1

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
लाघ भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005
पत्रांक एफ.8(10) आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2024/ जयपुर, दिनांक: As per E-sing

प्रधान महालेखाकार,
लेखा परीक्षा-1,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- राज्य आपदा निधि से गैर अनुमत गतिविधि टर्नकी आधार पर NICU निर्माण पर अनियमित व्यय राशि रुपये 425.60 लाख एवं कार्य सम्पादन में पायी गयी अनियमितताओं के सन्दर्भ में।
प्रसंग:- AAO/FP-64 का ई-मेल दिनांक 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) के क्रम में।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्वर्तित प्रारंभिक पत्र द्वारा कोविड-19 के दौरान आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की राशि रुपये 10775.70 लाख की जारी प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 4896-4903 दिनांक 31.03.2021 के विरुद्ध मेडिकल कॉलेज जूनापुर द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से गैर अनुमत गतिविधि टर्नकी आधार पर एम्बाइसीयू निर्माण पर अनियमित व्यय राशि रुपये 425.60 लाख एवं कार्य सम्पादन में पायी गयी अनियमितताओं के पर टिप्पणी चाही गयी है कि उक्त व्यय राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु अनुमोदित प्रक्राओं के अनुरांत अनुमत्य थे अथवा नहीं?
इस संबंध में निवेदन है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 33-4/2010-NDM-1 दिनांक 14.03.2020, 15.04.2021 के द्वारा कोविड-19 के लिए निमानुसार मद (ITEMS) स्वीकृत किये गये है:-

Measures for quarantine, sample collection and screening:
a. Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected and sheltered in quarantine camps (other than home quarantine) or for cluster containment operations.
b. Cost of consumables for sample collection.
c. Support for checking, screening and contact tracing.
Procurement of essential equipments/labs response to COVID-19: for
a. Cost of setting up additional laboratories within testing the Government and the cost of consumables.
b. Cost of personal protection equipment for healthcare, municipal, police and fire authorities.
c. Cost of Thermal Scanners, ventilators, air purifiers, oxygen generation and storage plant in hospitals, strengthening ambulance services for transport of patients, setting up containment zones, Covid-19 hospital, Covid-19 care centres and consumables for Government hospitals.

गृह मंत्रालय (DM Division) भारत सरकार के द्वारा दिनांक 08.04.2025 एवं 10.10.2022 के द्वारा जारी एसडीआरएफ मद एवं नॉर्स के अनुसार निमानुसार प्राधान स्वीकृत है:-

Items Not Covered under SDRF/ NDRF
(f) State Govt Buildings viz. departmental/office quarters, religions structures, patwarkhana, Court bungalow property and animal/bird sanctuary etc.
(g) Long term/permanent restoration work.

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.12.26 16:45:10 IST
Reason: Approved
(महेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

दस्तावेज (1) राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से संयुक्त शासन सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से नियमों को उद्धृत करते हुए बताया है कि एस.डी.आर. एफ. फंड का उपयोग मरीजों की जांच करने, “क्वार्टीन” करने और मेडिकल लैब में जरूरी उपकरण, पी.पी.पी. किट इत्यादि लेने के लिये किया जा सकता है। इस फंड का उपयोग स्थाई या लंबे समय के लिये उपयोग में आने वाले निर्माण कार्यों या मरम्मत कार्यों में नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक गहलोत सरकार को भी इस नियम कायदे की भली भांति जानकारी थी। दस्तावेज (2) इसलिये एस.डी.आर.एफ. फंड के उपयोग के लिये राज्य सरकार ने पहले आदेश में आई.सी.यू. व एन.आई.सी.यू. में वैटीलेटर तथा अन्य उपकरणों के खरीद के आदेश दिये हैं। परंतु बाद के आदेशों में शब्दों को गोल-मोल कर आई.सी.यू. के निर्माण कार्यों के आदेश कुछ गिनी-चुनी कंपनियों को दिये गये।

धनखड़ की टिप्पणी ने भारी विवाद उत्पन्न किया

धनखड़ की टिप्पणी के अनुसार, न्यायपालिका अनावश्यक रूप से विधायकों के काम में हस्तक्षेप कर रही है

—जाल खंबाता—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 अप्रैल। विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन्द्र सरकार को दी गई अंतरिम राहत ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विशेषतौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बैंच की भूमिका को लेकर न्यायपालिका अभूतपूर्व जांच के दायरे में आ गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालिया टिप्पणियों ने विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन पर बहस को और तेज कर दिया है।

■ धनखड़ ने, कानून बनाने के मामले में संसद को सुप्रीम माना है, तथा सुप्रीम कोर्ट को सचेत किया कि, सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन विधेयक के मसले पर “जुडिशियल ओवर रीच” (अनाधिकार चेष्टा) उचित नहीं है।

सत्रह अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, केन्द्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि विवादास्पद

प्रावधानों - जिनमें गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करना शामिल है- को अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मई 2025 के लिए निर्धारित की है और सरकार को एक सप्ताह में विस्तृत जवाब (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्य अभियन्ता भरतपुर फ्लड कंट्रोल का मानचित्र पेश करें

जयपुर, 19 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गई सिटी फ्लड कंट्रोल डेन में हुए अतिक्रमण के मामले में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को 13 मई को व्यक्तिगत: हाजिर होकर मौजूदा स्थल पर राजस्व मानचित्र को सुपर इंपोज करते हुए मानचित्र पेश करने

■ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को 13 मई को स्वयं पेश करने के आदेश दिये।

को कहा है। अदालत ने कहा कि मामला साल 2019 से लंबित है और अदालत ने गत वर्ष राज्य सरकार से यह रिकॉर्ड मांगा था। इसके बावजूद अब तक अदालत को सुपर इंपोज मानचित्र की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आक्रामक टिप्पणी भाजपा का पलटवार है न्यायपालिका के खिलाफ?

ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि पर राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये समय अवधि का अंकुश लगाने से बहुत खिन्न है

— रेणु मिश्र —

— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —
नई दिल्ली, 19 अप्रैल। ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय पर बहुत सोचा-समझा तथा सावधानीपूर्वक तथा योजनाबद्ध रूप से तैयार किया हुआ हमला है, जिसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अंजाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बुरी तरह व्याकुल तथा आहत होने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सर्वोच्च

■ उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि, आर्टिकल 142 प्रजातंत्र ताकतों के खिलाफ छोड़ा गया न्युक्लियर मिसाइल है।
■ धनखड़ के बाद भाजपा के सांसद निशिकान्त दुबे ने और भी रंगीन व असंसदीय भाषा में सुप्रीम कोर्ट को कोसा।
■ अब तक भाजपा की पूर्णतया चल रही थी, संसद में उठाये गये सभी मुद्दों पर, अब पहली बार अवरोध का सामना करना पड़ रहा है, अतः न्यायपालिका को टारगेट बनाया गया है, इतने आक्रामक तरीके से।

न्यायालय को काबू में लेने के प्रयास शुरू कर दिये है।
सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ

अत्यन्त कठोर और निर्दण्डी भाषण की पहल देश के उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने की थी

और अब उन्हीं का अनुसरण भाजपा सांसद निशिकान्त दुबे ने किया है, जिनका उपयोग भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विपक्ष के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग करने तथा खरी-खोटी सुनाने के लिए प्रायः करता रहता है।

राज्यपाल रवि द्वारा स्टालिन सरकार के विधेयकों को रोक रखने तथा उन पर कुण्डली मार कर बैठे रहने को सर्वोच्च न्यायालय ने नरमी से नहीं लिया था। न्यायालय ने दृढ़ तात्पूर्वक कह दिया था कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल यह सुनिश्चित करें कि उनके पास भेजे गये (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपहरण कर कई दिन दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की सजा

जयपुर, 19 अप्रैल। जिले की पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवकों को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 22 वर्षीय इन अभियुक्तों पर कुल 6.50 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तों में से एक, पीडिता की

■ पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्तों पर 6.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाभी का भाई और दूसरा उसका दोस्त है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवसिया ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों अवयस्क बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

CMYK